न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 17 / 2021

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, आबूरोड जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री नाथूराम पुत्र श्री वगता जाति जोगी निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्रीमती पंखू पुत्री श्री वगता पत्नि श्री जेठालाल जाति जोगी निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
3. श्रीमती कोवला पुत्री श्री वगता पत्नि श्री मंगला जाति जोगी निवासी मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही)
2. श्री मोहनसिंह देवडा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक से तीन की ओर से।

निर्णय

दिनांक 22.08.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा मुदरला, पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड के खसरा नं. 275 रकबा 0.13 बीघा किस्म नहरी–2 भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश दिनांक 19.06.1978 एवं 20.06.1978 द्वारा अप्रार्थीगण की माता श्रीमती चम्पा पत्नि श्री वगता जाति जोगी निवासी मुदरला तहसील आबूरोड जिला सिरोही को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 137 तहसीलदार आबूरोड द्वारा श्रीमती चम्पा पत्नि श्री वगता जाति जोगी निवासी मुदरला तहसील आबूरोड जिला सिरोही के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनसिंह देवडा द्वारा वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:43:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 275 रकबा 0.13 बीघा किस्म नहरी–2 भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण की माता श्रीमती चम्पा पत्नि श्री वगता जाति जोगी निवासी मुदरला तहसील आबूरोड जिला सिरोही को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है । आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है । अप्रार्थीगण सद्भावी काश्तकार नहीं थे एवं आवंटित भूमि पर उनका कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं किया है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे ।

अप्रार्थी संख्या एक से तीन की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनसिंह देवडा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि वर्तमान में मौके पर खसरा संख्या 275 रकबा 01.644 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त है। यह है कि उक्त कृषि भूमि अप्रार्थीगण की माता श्रीमती चम्पा पत्नि श्री वगता को आवंटन हुई थी एवं आवंटन के समय अप्रार्थीगण की माता को मौके पर हल्का पटवारी ने कब्जा सुपूर्द किया था। यह है कि जब तक अप्रार्थीगण की माता श्रीमती चम्पा जीवित रही तब तक उसका उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त रहा एवं उनकी मृत्यु पश्चात अप्रार्थीगण श्रीमती चम्पा के वारिसान है एवं बतौर खातेदार काश्तकार मौके पर काबिज काश्त है। यह है कि प्रार्थी तहसीलदार ने गलत रूप से उक्त निगरानी प्रस्तुत की है, जबकि अप्रार्थीगण जोगी जाति के लोग है, जो कृषि कार्य एवं मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते है। यह है कि उक्त कृषि भूमि नहर से सिचिंत है लेकिन काफी वर्षो से औसत बारिश नहीं होने से बांध में पानी नहीं आने से सिंचित नहीं हो पा रही है, जबकि अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा मूंगथला, पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 275 रकबा 0.13 बीघा किस्म नहरी–2 भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश दिनांक 19.06.1978 एवं 20.06.1978 द्वारा अप्रार्थीगण की माता श्रीमती चम्पा पत्नि श्री वगता जाति जोगी निवासी मुदरला तहसील आबूरोड जिला सिरोही को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 137 तहसीलदार आबूरोड द्वारा श्रीमती चम्पा पत्नि श्री वगता जाति जोगी निवासी मुदरला तहसील आबूरोड जिला सिरोही के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया। यह है कि पटवारी हल्का आमथला से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 18.12.2019 के अनुसार उक्त आंवटित आराजी पर अप्रार्थीगण का आवंटन तिथि से आज तक कब्जा नहीं है एवं मौके पर भूमि खाली पडी है। अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का आंवटन तिथि से आज तक कब्जा है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त है। यह है कि अप्रार्थी के नाम राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन शर्तो की पालना नही करने पर आवंटन निरस्त करने का नियम में प्रावधान है। विचारणीय प्रकरण में लम्बे समय से अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया है नियम 14 (3) के तहत उसे प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी । उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:43:30 IST
Reason: SelfAttested

B/10
...ा कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा कर काश्त किया जाना नही पाया जाता है। यह तथ्य पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौके पर कब्जा नही है एवं न ही अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कब्जा काश्त किए जाने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को किसी तरह की कोई राहत दी जाना विधि संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मूंगथला पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 275 रकबा 0.13 बीघा किस्म नहरी–2 भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश 19.06.1978 एवं 20.06.1978 द्वारा अप्रार्थीगण की माता श्रीमती चम्पा पत्नि श्री वगता को आवंटन की गई है, उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:43:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner